

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०-51/2026

1 लालचंद पुत्र रामप्रताप जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. शान्ति पुत्री रामप्रताप पत्नी कृष्ण कुमार जाति सुथार निवासी रतनपुरा हाल बिजूवाली
2. हंसराज पुत्र रामप्रताप सुथार जाति सुथार निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक... 23/2/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चकनं० 10 एसबीएन के खातासं० 179/127 में कुल 3.668 है० में रामप्रताप के नाम की 459/3668 हिस्सा आराजी के वादी व प्रतिवादी सं० 2 ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व चक नं० 10 एसबीएन के खातासं० 179/127 में से रामप्रताप का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।